कह सकते थे, लेकिन ऐसा न करके एक चीनी से सम्बन्धित माधारण से विधेयक पर जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नाम लेकर उन पर जो यहां उपस्थित न हो, प्रारोप नहीं लगाये जा चाहिए ! मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्राप जरा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार से यदि बातें कही जायेंगी—मैं प्राज भी कहता हूं कि कोई स्पैसिफिक चार्ज हो. कोई ग्रारोप हो तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम बिना किसी ग्राधार के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ।

इस्हीं अव्हीं के साथ मैं क्राती बात समाप्त करता हूं।

अक्षे महेन्द्र मोहन मिश्र : मनेजमेंट के लिए विचार चल रहा है ?

इन्हीं झब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए । श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं। लेकिन कुछ बातें इस विधेयक को देखकर मेरे ख्याल में आई तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय के पास तक पहंचा दं।

यह सही बात है कि इस बिल का स्कोप जैसा मंत्री महोदय ने बताया बहत हा लिमिटेड है और जो पहले बिल पारित हुआ था उसमे जो कभी रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह बिल आया है। जो प्रधान विधेयक था उसका मकसद था मिलें चलती रहें ग्रीर किसानों को उनके गन्ने का दाम मिलता रहे। इस के सम्बन्ध में मुझसे पहले भी बहुत से माननीय सदस्य लोग बता चुके हैं कि सौ करोड़ से ऊपर एरियर्स ऐक्यूमुलेट हो गये हैं ग्रीर ग्रापने दस मिल ली हैं। ग्रापने ग्रपने उत्तर में बताया कि आपको लेने में दिक्कत यह हुई कि ग्रापने विल में रखा है कि 10 परसेंट से ऊपर जा अदायगी बाकी रहेगी तभी आरोप उन मिलों को ले सकते हैं। यद्यपि आपने इन दस मिलों के लिए हो कोई 3.5

MR. DEPUTY CHAIRMAN: iMow 1 will put the motion.

The question is:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed

the judgement of the High Court. There is no question of 3-year limitation and that i_s why all those things had to be regularised by the issue of an Ordinance and by the present Bill. So any apprehension of that kind is not well founded.

These were the two points raised by him and now I request that the Bill be returned.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

THE SUGAR UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGE-MENT) AMENDMENT BILL, 1979

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

For maintaining the continuity of production of sugar, for avoiding undue hardship to cane producing farmers who were not getting prompt payment of cane supplied by them to the sugar factories and to best subserve the interests of all sections of the people, the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 was promulgated on the 9th November, 1978. The Ordinance was replaced by the sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1979 (49 of 1978). The Act provided for the vesting of the management of the sugar undertakings in certain Central Government under circumstances.

(Taking over of 22 Management) Amdt. Bill, 1979

Act was Immediately after the promulgated, action was taken according to the provisions of the Act on the erring sugar mills and as of today 10 sugar mills have been taken over. However, while administering the provisions of the Act, it was noticed that the original wording of a particular section of the Act had given rise some ambiguity which needed clarification. Under section 3 (1)(b) of the Ordinance, where the Central Government is satisfied that on any date in any sugar year any sugar undertaking has, in relation to the cane purchased before that date for the purposes of the undertaking, arrears of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased during the immediately preceding year, the Government may issue Central notice to the owner of such sugar undertaking calling upon him, among other things, to show cause as to why the management of such undertaking should not be taken over by the Central Government. A view has been put forth that arrears of cane dues referred to in this section refer only to the arrears of cane dues which will accrue in the current sugar year. However, this was not the intention of the Government while framing the Act. This interpretation would in fact undermine the very object with which the Act was framed *i.e.* with a view to give relief who have to to the cane growers wait indefinitely for getting back the price of their produce from the fac-Hence, it was felt that it tories. would be desirable to amend section 3(1)(b) of the Act to bring out clearly the sense behind the words and protect the interest of the cane growers. Parliament was not in session immediate action was necesand sary not only to continue effective action under the Act but also to validate action already taken, the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Amendment Ordinance, 1979, was promulgated by the Presi-

[Shri Bhanu Pratap Singh] dent on 31-1-1979. This present Bill is to replace the above Ordinance.

The present amendment is a necessary concomitant for the smooth administration for the provisions of the Act. As such, I commend the Bill for the consideration of the House and its early passing.

The question was proposed.

्रामानन्द यादव (बिहार) ः औं । सभापति जी, मुझे ताज्जुब हम्रा जब इन्होंने यह ग्रमेंडमेंट बिल रखा । ग्रभी दो महीने ही हए शुगर केन ग्रंडरटेकिंग बिल पास हए और तत्काल दो महीने बाद अमेंडमेंट बिल आ गया । इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने शगर मिलों को जो लिया उन्हें किसी खास मकसद से लिया । इन पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । शगर फैक्टरियां अगर हम लेते हैं तो उन्हें कारगर रखने, समय पर चलाने ग्रौर उनका मैनेजमेंट ठीक से करने के लिये कुछ करना चाहिये । बिना सोचे-समझे, जल्दी में ग्रा करके, कुछ पोलिटिकल गेन और कुछ मोनेटरी गेन की नीयत से इन्होंने आर्डिनेस इश् किया और विल बनाया । मृते लगता है कि इस अमेंडमेंट के बाद दूसरा अमेंडमेंट. तीसरा अमेंडमेंट और कई अमेंडमेंट ग्रायेंगे पर उनका कोई ऋर्थ नहीं रहेगा ।

इन्होंने बिल में यह प्रोविजन किया है कि जो केन प्राइस इस सीजन की बकाया उसको दिलाने की व्यवस्था की जाएगी । पिछले साल का जो केन प्राइस का एरियर बकाया है, इस साल का तो दिलायगे ही साथ ही पिछले साल का जो बकाया है उसकी रिकवरी की व्यवस्था भी इसमें रखी गई है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें दो-तीन बातों को ग्रोमिट कर दिया है, छोड़ दिया है । पहली बात तो यह है कि इन्कम टैक्स जो प्राइवेट मिलें देती हैं उन्होंने

(Taking over of Management) Amdt. Bill, 1979

इन्कम टैक्स चुकता नहीं किया है, स्टेट सरकारों को जो सेल्स टेक्स मिलता है जिसे रोडटेक्स कहते हैं या स्टेट्स जो कुछ कहती हैं वह भी चुकता नहीं किया गया है श्रीर डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपया प्राइवेट ग्रानर्स जो मिल मालिक हैं उन्होंने डेवेलपमेंट करने के लिये दिया है। इसकी रिकवरी का प्रोविजन ग्रापने इस ग्रमेंडमेंट में नहीं रखा है जिसको ग्रापको रखना चाहिये था। ऐसा लगता है कि मिल-मालिकों को उंगली दिखा चर, भय दिखा कर, डर दिखा करके ग्रौर ग्रपने कव्जे में रख कर के उनसे मोनेटरी या पालिटिकल गेन लेने जा रहे हैं। इस बिल से ऐसा लगता है कि ग्रापको फायदा ग्रौर काफी फायदा हो रहा है।

160 मिलों को टेक-ग्रें।वर करने के लिये नोटिस हम्रा था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 मिलें ही क्यों टेकग्र वर की ? क्या 160 मिलों में से 10 मिलों ने ही एरिय न्तीयर नहीं किया था ग्रौर बाकी 150 मिलों ने एरियर क्लीयर कर दिया था ? क्या इन 150 मिलों ने इन्कम टैक्स एरियर क्लीयर कर दिया था, सेल्स टैक्स एरियर क्लीयर कर दिया था ? क्या डेवलेपमेंट का पैसा सारा क्लीयर कर दिया था ? नहीं ? इसका मतलब साफ जाहिर है कि म्रापकी नीयत साफ नहीं थी। ग्रापने कुछ का फेवर किया श्रौर फेवर क्यों किया यह ग्राप जानिये । लेकिन मझे लगता है कि इसके अंदर जरूर कुछ है। ग्रापकी नीयत गड़वड़ है तभी ग्रापने. 160 मिलों को जो टेक प्रोवर करने के लिये नोटिस दिया गया था उसमें से केवल 10 को ही टेकव वर किया । यह प्रोविजन इसमें होना चाहिये था कि सब को करते जिन्होंने एरियर क्लीयर नहीं किया, मेल्स टॅक्स एरियर क्लीयर नहीं किया, इन्कम टंक्स एरियर क्लीयर नहीं किया, ठीक प्राइस नहीं दी, समय पर मिल स्टार्ट

(Taking over of 26 Management) Amdt Bill, 1979

नहीं होतो है ? मैं पूछना चाहता हं कि क्या श्रापकी ट्रेजरी में पैसा नहीं है ? जो फैक्ट्रियां पहले किसानों का पेनेन्ट नहीं करती थी उनको हम दोव दो थे, लेकिन गवर्नमेंन्ट के टेक झोवर के बाद भी ग्रगर किसानों की पेमेन्ट नहीं होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार भो पेमेन्ट नहीं करती है ग्रौर उनको सूद भो देने के लिए तैयार नहीं है । क्राज भी हमारे देश में गन्ना उत्पादकों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है । ग्रसल में वास्तविक बात यह है कि सरकार ने जिन गुगर फैक्ट्रियों को ग्रपने हाथ में लिया है उनके मैंनेजमेन्ट में कोई सुधार नहीं किया है ग्रौर ये लोग उसी तरह के किसानों के ऊपर ग्रत्याचार कर रहे हैं ग्रौर उनको लूट रहे हैं क्योंकि मैनेजमेन्ट तो पूंजीपतियों का ही है। इन फैक्टियों की सारी मशीनरी ग्रौर मैनेजमेन्ट पूंजीपतियों का है । इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार का प्रावधान ग्रापने इस बिल में नहीं किया है। ग्रापने बफर स्टाक के मैंटेनेन्स के लिए 5 लाख से 8 लाख रुगयों की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस रुपये से ग्राप क्या करेंगे ? किसानों का जो पैसा बाकी है उसी से म्राप किसानों से माल खरीदेंगे म्रौर मिल वालों को देते रहेंगे । इस तरह से किसानों से जो माल खरीदा जाएगा उसकी थेमेन्ट फिर भी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हं कि इस संबंध में भी ग्रापको इस बिल में कोई प्रावधान करना चाहिए ।

सभापति जी, हमारे देश से पहले चीनी का काफी निर्यात विदेशों को किया जाता था, लेकिन ग्रव शुगर फैक्ट्रियों से चीनी का निर्यात रोक दिया गया है। ग्राप जानते हैं कि हमारे देश में ईख की खेती साल भर में एक वार होती है। हमारे देश में ग्रधिकतर ईख की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ग्रौर कर्नाटक में होती है। लेकिन सबसे ग्रधिक ईख की खेती उत्तर प्रदेश,

नहीं की । 160 मिलों में से जिन 150 मिलों को ग्रापने छोड़ा है उनके लिये ग्रापने नियम पालन नहीं किया । ग्रापने समय निर्धारित किया था उनको टेक म्रोवर करने के लिये लेकिन आपने उतने समय में टेक ओवर नहीं किया । कुछ फैक्ट्रियों ने तो बहुत बाद में जाकर क्रशिंग शुरू की इसलिये कि उन्होंने ग्रापको मुलायम कर दिया, ग्रापके मुंह में मिठास डाल दी, ग्रापका मंह मीठा कर दिया, ग्रापकी जवान को बन्द कर दिया, सील कर दिया । ऐसा करने पर ग्रापने भी उनको छोड़ दिया । मुझे ऐसा लगता है कि हयुज मनी को रिएलाइज करने के लिये ग्राप सक्षम नहीं हैं। यह जो अमेंडमेंट लाये हैं इसके माध्यम से आप चाहेंगे कि पूरी मुर्सादी से रिएलाइज कर लेंगे, मैं समझत⊹हं नहीं कर सकते । अापको इस संबंध में जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए ग्रौर जिस रूप में कड़ाई से काम लेना चाहिए, वैसा ग्राप नहीं कर रहे हैं। इस बिल में जो वर्डिग होनी चाहिए वह ग्रापने नहीं की है । मैं समझता हं कि इसमें ग्रापको परिवर्तन करने की म्रावश्यकता पडेगी और अपनी स्पीच में भी आपने कहा है कि इस बिल में बाद में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं समझता हं कि आयन्दा अवश्य ही आपको इस विल में परिवर्तन करने की म्रावश्यकता पडेगी ।

जहां तक हमारे देश में शुगर फैक्ट्रीज की स्थिति का सवाल है, ग्राप जानते हैं कि उनकी हालत ग्रच्छी नहीं है। ग्रधिकांश शुगर फैक्ट्रीज की हालत डोलड्रम में पड़ी हुई है। जिन फैक्ट्रीज को ग्रापने टेक ग्रोवर किया है वे भी किमानों का पेमेन्ट नहीं कर पा रही हैं। पहले ग्रापने सात फेक्ट्रियों का टेक ग्रोवर किया ग्रीर बाद में 10 फैक्ट्रियों का टेक ग्रोवर किया । जब ग्रापने इन फैक्ट्रियों का टेक ग्रोवर किया । जब ग्रापने इन फैक्ट्रियों का टेक ग्रोवर किया वो यही दलील दी थी कि ये फैक्ट्रियां किमानों का पेनेन्ट नहीं कर रही थी। लेकिन क्या कारण है कि ग्राप से टेक ग्रोवर करने के बाद भी किसानों की पेमेन्ट

(Taking over of 28 Management) Amdt. Bill, 1979

उस फेमिन को न आने देने के लिये आपको चितित रहने की आवश्यकता है । आप ऐसा न करें जिससे कि शुगर केन की खेती कम हो । शुगर केन की खेती वहां होती है जहां दूसरे अनाजों की दो फसले पैदा करने की व्यवस्था नहीं होती । आप किसान हैं । आप खुद इस वात को जानते हैं कि जहां पानी अधिक लग जाता है वहां किसान ईख बोता है इसलिये कि अधिक पानी होने पर ईख की खेती पानी को वर्दाश्त करती है और इससे किसान फायदा उठाता है ।

मैं चाहंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप ले ताकि किसानों का जो बाकी पैसा है, जो एरियर है जो कि नियर ब्रबाउट 200 करोड़ रुपये है, वह सारा का सारा पैसा किसानों को मिल जाय । पीछे ग्रापने ग्राख्वासन दिया था कि किसानों का पैसा जल्दी से जल्दी चुकता करा देंगे । लेकिन चुकता नहीं हो रहा है, उनको वापस नहीं मिल रहा है। आप इसकी व्यवस्था करें और फैक्टरी वालों से उनका पैसा चकता करवाने के लिये ग्रावश्यक कदम उठायें । जब किसी गरीब किसान से पैसा वसूल करना होता है तो उनके बैल खोल देते हैं, उनको वारंट देते हैं, 💡 उनको प्रखंड में ले जाया जाता है ग्रौर उनको परेशान किया जाता है। लेकिन मिल बाले किसानों का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, ग्रापका इन्कम टैक्स पकड़ कर बठे हुए हैं, डेवलपमेन्ट के नाम से पैसा लेकर बैठ हुए है, डवलपमेन्ट के नाम से पैसा लेकर दूसरी चीजों पर उसको खर्च करते हैं, जो किसानों का है पैसा उसका वह भुगतान नहीं करते । किसानों का उनके ऊपर करीब दो सौ करोड़ रुपये बाकी है। इसको दिलाने की ग्राप व्यवस्था करें।

मैं एक ग्रौर बात का निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहता हूं ग्रौर वह यह है कि यह जो फैक्टरी वाले हैं चाहे वे प्राइवेट ग्रोनर्स

[श्री रामानन्द यादव]

बिहार, महाराष्ट्र ग्रौर गजरात में होती है। फैक्ट्रियों द्वारा गुगर का निर्यात बन्द हो जाने के कारण किसानों को पेमेन्ट नहीं हो पा रही है। श्रापने इस बिल में कोग्रापरेटिव सेक्टर को भी इंक्लुड कर दिया है । ग्राप जानते हैं कि कोग्रापरेटिव सेक्टर एक स्टेट सवजेक्ट है । लेकिन ग्रापने कोग्रापरेटिव सेक्टर की मिलों के संबंध में स्टेट गवर्नमेन्टस से कोई बात नहीं की । मैं यह मानता हं कि हमारे देश में जो फैक्ट्रियां कोग्रापरेटिव सेक्टर में हैं वे भी कुछ ही चुने हुए लोगों के हाथों में हैं ग्रौर वे भी उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से प्राइवेट फैक्टियां करती हैं। वे भी किसानों की वकाया का पेमेन्ट नहीं करती हैं ग्रौर वे लोन के नाम पर पैसे को पेपर के माध्यम से इधर-उधर कर देते हैं ग्रौर यह दिखा देते हैं कि किसानों को पे रेन्ट हो गया है। लेकिन वास्तव में यह पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है। कोग्रापरेटिव सेक्टर में भी हमारे देश में शगर फैक्टियां ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो भ्रब्ट हैं । मैं समझता ह कि इस संबंध में भी इस बिल में कोई प्रावधान होना चाहिए था। स्टेट गवर्न मेन्टस से विचार-विमर्श करके इस भ्रब्टाचार को समाप्त करने का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए । इस समय स्थिति यह है कि कोग्रापरेटिव सेक्टर की मिलों में भ्रष्टाचार बहुत है ग्रौर वे एक ही श्रादमी के हाथों में चल रही हैं । वे लोग भी किसानों का शोषण करते हैं । उस पर स्रंकुश लगाने के लिए आपने इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की है। सभापति जी, सरकार ने चीनी पर से कन्ट्रोल हटा लिया। बड़ा अच्छा किया। इसने कंज्युमर्स को कम पैसे पर चीनी मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, इस साल में ही ईख की खेती करना किसान बन्द कर देंगे ग्रौर मेरा ग्रपना ख्याल है कि ग्रागे जाकर चीनी लोगों को मिलेगी नहीं, चीनी का फेमिन हो जायेगा।

(Taking over of 30 Management) Amdt. Bill, 1979

sugar undertakings are taking over because of mismanagement, they should not be returned back to the owners if they had illegally deprived the workers of their dues and had not paid the price of sugarcane they purchased.

Sir, it is very essential that the public sector should step in to deal with consumer articles such as foodgrains and other commodities. There is a demand of the working class for nationalisation of sugar, textile, and jute, I would have very much liked the Minister to take a similar stand in the case of the jute industry. The jute growers are getting very much low price and they have suffered very heavily in the last two years. Therefore, I would also like to know from the Government what is the policy of the Government regarding cotton and jute and regarding the price paid to the jute growers and what steps it has taken.

Sir, in this connection, I would like to say that the Government's policy of decontrolling sugar has cerainly benefited the consumers and the price has gone done. But if the cost of production is such that the cane growers do not get a remunerative price, then they will go to some other cash crops or some other crops, and then we may face low production of sugarcane itself and ultimately sugar famine. As far as the information I have got goes, in Karnataka by 30 per cent the production of sugarcane has gone down. In Maharashtra also in some districts the cultivators are thinking of leaving the area for other cash crops and not to grow sugarcane. Therefore, it must be an incentive to the sugarcane growers. Their commodities should get adequate price. And it is the duty of the Government and the society to see to that.

In my State, the affinence in the West Maharashtra is due to the cooperative sugar factories. There are

हों, या कोम्रापरेटिव की हों, चाहे स्टेट कारपो-रेशन हैं जिनको ग्रापने प्रन्डरटेक किया है, जिन पर भी किसानों का पैसा बाकी है पहले से भी ग्रौर ग्राज भी, उन पैसों का सूद किसानों को दिलवाने की व्यवस्था करें। इस बिल में मैं चाहता था कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसानों का जो पैसा बकाया है वह उन्हें सूद के साथ मिले चाहे जितने भी दिन का हो । ग्रौर इसके लिये वही रेट तय किये जायं जो कि बैंक रेट है यानी 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत सुद उस पर मिलना चाहिए । ये मिल मालिक करोडों करोड़ रुपय का सूद का पैसा लेकर बैठे हए हैं ग्रौर उस पैसे से एक मिल वाला ग्राज दो-दो, तीन-तीन ग्रौर चार-चार मिलों का मालिक बन गया है । इस देश में जो मिल हैं उनको प्रोटेक्शन मिला ग्रौर सभी ने उनको हर तरह से फायदा पहुंचाया ग्रौर इस तरह से बडे बडे पूंजीपतियों को खड़ा कर दिया परन्त किसान का गोधग होता रहा है और हो रहा है। ग्राज भी यही हो रहा है और फैक्टरी वाले यही गोषण का रवैया ग्रपनाये हए है। मैं चाहगा कि इस बिल में इस तरह का प्रावधान किया जाय ताकि किसानों की जो बकाया मिल-मालिकों के पास है उम पर सद मिल सके ग्रौर जिन मिलों पर चाहे वे प्राइवेट मिल ग्रोनर्स हों, चाहे श्रापकी अन्डर-टेकिंग्स हों, चाहे स्टेट कारपोरेणन जो कि डिफरेन्ट स्टेट्स में बनी हुई हैं उनकी मिल हो ग्रौर चाहे कोग्रापरेटिव सेक्टर में हो, उनपर किसानों का जो पैसा बकाया है किसान को उसका एरियर सुद के साथ मिले, ऐसी व्यवस्था इम बिल में की जानी चाहिए ।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, I welcome the provisions of this Bill which is only a nominal Bill. There was a lacuna in the Government's policy regarding purchase of sugar cane in the previous years. Sir, the Government should not rest only with taking over the sugar undertakings for the time being. If the

P

[SHRI S. W. DHABE]

large sugar factories which are well | managed by the farmers. The workers there are demanding that they should become shareholders of those co-operative societies. But this cooperative movement should not be affected by the policy of the Government. It is better to have the cooperative movement, the co-operative sugar factories than having the fac-\ in the hands of the private persons, the private employers. I would like to know from the Minister when the cooperative sugar factories are governed by the cooperative law which is in the State List, how the factories can be taken over by the Central Government. It is exclusively in the State List. It is very essential that he should clarify the position regarding the co-operative sugar factories. These are governed by the State law, these are governed by the State List ultimately, and they cannot be taken over by the Central Government.

Sir, lastly, I would like to say that the policy of the Government of stopping the export has not been useful. Had the Government exported sugar and with its profit balanced the economy of the sugar industry, this state of affairs would not have arisen. Today, Sir, the buffer stock limit of the Government has been increased to 15 lakh quintals! If the Government wants to give adequate price to the sugarcane growers, I am ' not pressing for export of sugar but they must increase the buffer stock to the extent that the cane-growers get adequate price and the industry is stabilised. It is not a proper policy to export essential commodities like sugar. But the Government has to increase the buffer stock to more than the present stock of 15 lakh quintals which is very essential for stabilising the price. Therefore, Sir, the essential aim should be that not only

(Taking over of 32 Management) Amdt BUI, 1019

is the sugar industry stabilised but also that the cane-growers get adequate price so that they will have incentive for more cultivation and continuity of interests. In this connection I may say that in my State a mo-12 NOON nopoly cotton procurement scheme has been introduced. Cotton was being sold to the speculators and their agents and the agriculturists were getting a low price. At the time of the season when they required money immediately, it was purchased at 50 to 60 per cent less than the normal price. Now the Maharashtra Gov. ernment has been experimenting with the monopoly cotton procurement scheme for the last five or six years and it has been most successful. I would like the scheme to be extended to other essential commodities like sugarcane and jute. I fail to understand why the Government is not taking up a monopoly procurement scheme for sugarcane so that the cane growers also get a proper price. And then it can be sold to all the sugar factory-owners.

PROF. N. G. RANGA (Andhra Pradesh) : Co-operative procurement.

SHRI S. W. DHABE: I agree with my senior colleague, Prof. Ranga that if there is the co-operative method it will be more useful. But to begin with, when we are having the experiment of the co-operative movement only in some parts of the country, it will be more useful if the Central Government starts the monopoly procurement schejme and ultimately gives it to the co-operative movement. Therefore^ this question of sugar factories is very important. Sir, 65 per cent of the sugarcane goes for khand-sari and jaggery, to the small factory owners. And the big factory owners use only about 35 Der cent. Therefore, it is equally important that the small factory owners, the small manufac.

गई है कि एक क्विंटल परदा करने में 13 रुपए लगते हैं और ग्राप भी कभी 10 रुपए देते हैं, कभी साढ़े म्राठ रुपए देते हैं। इप्तलिए मैं यह चाहता हं कि इस तरह का हिसाब हो कि गुगरकेन की लागत से इसका ताल्लुक रहना चाहिये । जितना पैसा उत्पादन में लगता है गन्ने का दाम उसी अनुपात में होना चाहिये । श्रीमन्, मंत्री महोदय से खासकर मैं कहना चाहंगा क्योंकि वे स्वयं ही किसान हैं ग्रीर उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खास कर हमारे बिहार ग्रीर उत्तर पूर्वी यू० पी० जुगर इंडस्ट्रीज से भरा पड़ा है, बहुत दिन से यह उद्योग वहां चल रहा है स्रौर स्राज यह गुगर इंडस्ट्रीज की संज्ञा में जा रहा है। अगर सरकार की नीति यह रहेगी तो वह दिन बहा दूर नहीं है जब कि सारी इंडस्टीज हमारे इन प्रान्तों से विलीन हो जाएगी । दक्षिण से हमारे बहुत से मिलो ने कहा कि वहां पर गुगर इण्डस्ट्रीज कोग्रापरेटिव सेक्टर में भी चल रहे हैं। लेकिन जहां तक दक्षिण भारत की जुगर इण्डस्ट्रीज की बात है वे अच्छी चल रही हैं ग्रीर में यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो रिसर्च आर्गनाइजेशन है उनसे किसानों का सीधा सम्पर्क होना चाहिए ताकि लोग इसकी और झुकें और नयी वेराइ-टीजा अथनाएं। किसान को जब तक आप उसके मन के मुताबिक प्रोडक्शन से झौर दाम से तालमेल नहीं बैठायेंगे तब तक मैं समझता हं कि जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है वह अपने आप को हमेशा निस्सहाय समझेगा। यह ग्रापका हिन्दुस्तान है जो आप चाहते हैं करें। लेकिन मैं चाहंगा कि आप एक कम्प्रेहेंसिव बिल सदन में लावें। जो तीनां मुद्दे उठाये हैं वे समझें। खास कर मजदूरों के हितों की रक्षा आप जुगर इण्डस्ट्री के नाम पर करें और शुगर इण्डस्ट्री की संज्ञा समझें तो

आप उसी अन्पात में उनकी मदद कर सकते

हैं। इन्हीं प्रब्दो के साथ में इसका स्वागत करता हूं ।

श्री भानु प्रताप सिंहः उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का ग्राभारी हं जिन्होने इस बहस में भाग लिया ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा ग्रौर संक्षिप्त उद्देश्य का बिल है। हमने जो पहले मुल ग्रधिनियम पारित किया था उसके शब्दों में कुछ आ शंका व्यक्त की गई थी और एक हाई-कोर्ट में उसके बारे में सन्देह प्रकट किया गया था उस सन्देह को दूर करने के लिए केवल शाब्दिक परिवर्तन किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है जिससे हमारी मंशा के बारे में आगे किसी न्यायालय को कोई सन्देह न रह जाए। इतना ही सीमित उहेंश्य इस बिल का है। अब इस पर आक्षेप किया गया कि यह कम्प्रेहें-सिव बिल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। ग्रब ये बातें कही गयीं कि इस जनता सरकार का कुछ उद्योग-पतियां से रिक्ता है, इनके उद्देश्य दूसरे हैं, ये कहने के लिए कुछ हैं ग्रौर करने के लिए कुछ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें तो मैं जानता नहीं हुं लेकिन नयी बात इस सरकार की यह है कि हमारा रिश्ता दो से है, या तो गन्ना उत्पादकों से है या उपभोक्ताओं से है। यह हो सकता है कि हम चीनी उद्योग की सारी समस्याएं न हल कर पाये हा लेकिन में इतना जरूर दावा करता ह कि हमने गन्ना उत्पादकों ग्रीर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ सम्भव था किया है तथा उसके परिणाम भी अच्छे शामने आये हैं।

जो मूल विश्वेयक था, उसके दो उद्देश्य थे। एक की चीनी मिलें चलती रहें जिससे गन्ने की पेराई न रुके और दूसरा यह था कि जो गन्ना उत्पादक गन्ना सप्लाई करते हैं उनके गन्ने की कीमत की अदायगी होती रहे।

(Taking over of Management) Aiadt. mil i9-,n

[श्रो भान्यताप सिंह]

जहां तक पहले उद्देश्य का सम्बन्धहै उसमें हमें पूर्ण सफलता मिली। इस चीनी वर्ष में हर तारीख को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलें काम करती रहीं, कोई भी पीरियड नहीं आया इस युगर इयर में जब काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम रही हा। कोई भी अवसर नहीं आया है जब कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीनी कम बनी हो। इसलिए जहां तक चीनी के कारखाता के चलने का उद्देश्य था बह पूरी तरह से प्राप्त किया गया है। पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी मिलें काम कर रही हैं और पिछले साल की तुरना में अधिक चीनी अब तक बन भी चुकी है।

जहां तक गन्ने के पैदा करने वालों के बकाये का प्रश्न है, उसमें भी कुछ सफलता मिली है। जहां तक पिछले साल के बकाये का प्रश्न है वह बहुत कम किया जा चुका है और उसका कारण यही है कि जब 10 परसेंट से ऊपर बकायेदारों क लेने की बात आयी तो हमारे चंगल में बहुत कम मिलें फंस सकी अर्थात् उनकी अदायगी जो थी वह 10 प्रतिशत के नीचे आ चकी थी। सिर्फ थोड़ी सी मिलें ऐसी थीं जिनकी अदायगी नहीं थी और उनको हमें लेना पड़ा। जिस वक्त हमने उनको लिया था उस बक्त उनके ऊपर करीब 6 करें ड़ रुपया किसानों का बकाया था। हमने ऐसा किया था कि तीन महीने के अन्दर इस बकाय को अदा कर देंगे। अभी 6 करोड़ क मुकाबले 6 करोड़ से कुछ अधिक धनराणि उन मिलों को बी जा चुकी है जिसको हमने सीधे वन्द्रीय सरकार के अधिकार में लिया है । इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो बकाये की धनराणि थी, थोड़ी बहुत चाहे बकाया हो, अन्यथा वह पूरी की पूरी अंदा हो चुकी है।

अब बिहार की मिलों का प्रश्न उठता है। अब बिहार की या कहीं और की मिलें जो

कि एसी हैं जिनकी कि राज्य सरकार न प्रपने हाथ में ले रखा है उनके वहां की ग्रदायगी का प्रका तो वहीं की राज्य सरकार मुलझा सबेगी। हम तो सिर्फ दो प्रकार की मिलों के लिए जिम्मेदारी लेते है। एक तो वह जिनको स्वयं लेलें, अधिग्रहीत कर लें ग्रीर दूसरी वे जो प्राईवेट सेक्टर में हैं या कोग्रापरेटिव सेक्टर में हैं, लेकिन वही जो पिछले साल के गन्ने की कीमत की ऋदायशी नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत अदायगी कहीं से बकाया है। उसके लिए तो में नहीं कहता हं। परन्तु प्रायः सभी अदायगी हो चकी है। लेकिन इस वर्ष, में मानता हूं फिर किसानों को गन्ने की कीमत की बहुत बड़ी धनराशि बकाया के रूप में एकन्नित है। गई है। पिछले वर्ष इसी समय जितना गन्ना खरीदा गया था उस का केवल 21 फी सदी बकाय के इन्य में था, आज वह बढ़ कर 25 या 26 फी सदी हो गया है। लेकिन मैं कुछ वातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हुं और वह यह कि अब तक चीनी मिलां की कठिनाइयों को थोड़ा निजी क्षेत्र की नहीं सरकारों क्षेत्र की और / जो सहकारी चीना मिले हैं उनको भी हमने जरूर उनके साथ थोड़ा मनामियत का व्यव-हार किया है। लेकिन अब हमने उनके लिए जो परिस्थितियां पैदा कर दी हैं बफर स्टाक द्वारा. याना बफर स्टाक तैयार करने के लिए उन बैंकों से कर्जे की सीमा बढाने के लिए, और इसक साथ यहजोचीनी कामल्य थोडा बढा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए में यह स्पष्ट करना चाहता ह कि ग्रगर उन सहलियतों के बाद, इन परिस्थितियां के बदलने के बाद, चीनी क भाव कुछ बढ़ाने की बात भा थोर चीनी मिले गला किसानों के मल्य चकता नहीं करेंगे तो वह इस कानून से बच नहीं सकोंगे। आज ही मैंने कहा है कि हर एक मिल के बकाएक फिरसे झांबडे मंगाए जाएं, ग्रीर पूरा रिव्यु चालु कर दिया गया

ग्रीर मझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो मिल नहीं अदी कर सकेगी उसको हमें ले लेना पहुँगा। दूसरी बात जो में स्पष्ट करना चाहता हं वह चीनी के मुल्य देविषय में है। एक बात कही गई कि हमने कहा कि -2 -रु. 20 पंसा प्रति किलोग्राम चीनी जिवे मी-। में यह याद दिलाना चाहता ह, मैंने 2 २० 70 का भाव नहीं कहा था, मैंने 2,75 और 2.80 कहा था (Interruptions) वह तो रिकार्ड यहां मौजद है। कार्य-वाहा में आप निकलवा कर देख लोजिए। कार्यवाही में तो स्पष्ट लिखा हवा है जो मैंने कहा सोर झाज भी मैं कहता है कि 2.75 रु० से अधिक मल्य नहीं चढना चाहिए । लेकिन एक बात में कहना चाहता हं कि दिल्लों के मुल्य हमेशा 10 पैसा 15 पैसा ज्यादा होते हैं उसका कारण यह है कि यहां चाना बाहर से आती है और उस पर चंगी काफी उंचे दर पर लगायां जाती है। इस क अतिरिक्त दिल्लो निवासी बहुत अच्छी चानी खाने के आदा है, वे सी-30 ग्रेड की चानी खरादते हैं जब कि सारे देश में डा-30 चीनो चलती है। तो कवल दिल्ली हो नहीं है स रा देश। यह में एक बार फिर कहता हं कि अगरदेश में चानों का भाव, वह भी कामन वेरायटो डो-30 का, अंगर 2.75 रु० से ज्यादा हाता है तो सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगो। अब दिल्लो के खाने वाले बहुत फैन्सी हैं, यहां पैंकिंग बहुत फैन्सों है, दुकानें भी बहुत फैन्सी हैं। तो उन फैन्सो लागों की बात छोडिए, साधारण व्यक्ति जो इस देश का है अगर उसको 2, 25 रू० से ज्यादा कीमत खदा करनी पड़ेगी तो सरकार अवध्य कदम उठायेगां ।

अन खुर तादी आलम खात् (दिल्ली) : बोडा सा दिल्ली से भा महेब्दन करिए आप ।

SHRI LAKSHMANA MAHA-PATRO (Orissa): To save the peop:e, can you think of having the Parlia-

(Taking over oj Management) Amdt Bill, 1079

ment in the rural side hereafter instead of having it in Delhi?

अप्रेभान प्रेतीय सिंह मैंने देश की बात कही। मैंने कहा दिल्ली ही देश नहीं है।

अीमन, एक प्रबन उठाया गया कि जेबे 60 मिलों को नोटिस दी गई तो केवल '10' क्यों ली गई ? इसलिए कि बाकी ने कानून की जो आवण्यकता थी उसकी पुर्ति कर दी थी। एक प्रज्ञ यह उठाया गया कि गन्ना किसानों का अगर बकांया रहता है तो उस पर उनको सुद मिलना चाहिए । मैं बार बार कह चका हं कि 15 प्रतिशत सूद निर्धारित किया गया है ग्रीर वह उन को मिलेगा । लेकिन जब अभी कठिनाई हम को इस में हो रही है कि हम उन के मुल्य का ही निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बात क्या की जाय, लेकिन यह निश्चय मानिये कि जब मूल्य का निपटारा होगा तो उसके साथ सूद का भी निपटारा होगा।

एक प्रज्ञ यह उठाया गया कि क्या केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि बह कोछापरेटिव चीनी मिलों को ले ले। मैं यह कहुंगा कि हां, पूरा अधिकार है। SHRIS. W. DHABE: That is in the State laws.

"Sugar industry is a schedule industry under the Industry (Development and Regulation) Act which means the Government of India are the authority competent to legislate and regulate under Entry No. 52 of the Union List in the Seventh Schedule to the Constitution of India."

Therefore, we have exercised this power under this.

रहा यह कि हमने

राज्य सरकारा का कथल्ट किय है। ऐसी बात नहीं है कि हुमने बिना उन के परामर्श के अपने मनमाने इंग से किया है।

(Taking over of 72 Management) Amdt. Bill, 1979

[श्रद्ध बातु प्र तप सिंह]

यह जरूर है कि बहुत सी सहकारी मिलें यह तर्क देती हैं कि हम प्रापने सदस्यों को, ग्रापने गन्ना उत्पादक सदस्यों को क्या कीमत दें इस में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस तर्क को हम स्वीकार नहीं करते हैं । हम उन गन्ना किसानों का भी रक्षा करेंगे जो किसी सहकारी चीनी मिल में ग्रापना गन्ना देते हैं ग्रीर उन की भी जो नहीं देते हैं ग्रीर यह जो मिनिमम स्टै:्यूट राग्राइस है वह चाहे निजी क्षेत्र की मिल हो या कोग्रापरे-दिव की मिल हो, वह उस को ग्रादा करनी ही पड़ेगी ।

श्रीमन्, हमारे माननीय सिन्हा जी चले गये हैं। यहां मौजद नहीं । उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने की ग्रदायगी पूरी कीमत की हो सकती है, मजदूरों की मजदूरी दी जा 'सकती है, सरकार के जितने टैक्सेज हैं सब दिये जा सकते हैं और फिर भी चीनी दो रुपये 20 पैसे पर फुटकर में बेचें। जा सकती है । इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हं कि ग्रगर केवल उद्योगपतियों का ही प्रश्न होता तो मैं ग्रविश्वास करता उत पर स्रोर जिल्हा महार हो बजा पर ज्यादा विष्ठवास करता लेकिन चीनी उद्योग में तो मभी लगे हुए हैं--राज्य सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार के पास भी ग्रव दस मिलें हैं और सहकारिता की तो इतनी मिलें हो चुकी हैं कि इस देश में जितनी चीनी पैवा होती है उस में कोग्रापरेटिव सेक्टर में आधे से ज्यादा पैदा होती है । परन्तु किसी सेक्टर में चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो या कोग्रापरेटिव सेक्टर हो, किसी सेक्टर ने वह परफार्मेंस करके नहीं दिखाया है कि जिसका सिन्हा माहत्र ने जिक किया । बल्कि

उल्टे हर एक की तरफ से इस बात की पैरवी होती रही ग्रौर केवल मिलों ने ही पैरवी नहीं की, राज्य सरकारों ने पैरवी की कि चीनी का कुछ मुल्य बढ़े ग्रन्थथा उन के लिये गन्ने की कीमत का ग्रदा कर पाना कठिन हो जागेगा । यह बात दूसरी है कि देश के सभी लोगों को या तो निकम्मा मान लिया जाय या भ्रष्ट मान लिया जारे । तो यह तो सिन्हा साहब ही कर सकते हैं । मेरे पास अपनी कोई मिल नहीं है, नहीं तो मैं ग्रपनी उस मिल का मैनेजर उन को बना देता भौर ग्रगर वह तैयार हों तो मैं उनको किसी मिल का कस्टोडियन बना सकता हं लेकिन वह प्रगर इस बात को दिखाने का जिम्मा लें।

ग्रन्त में, चन्द प्रश्न एठाये गये थे इस विवाद के संबंध में, उन को मैं समझता हूं कि मैं उत्तर दे चका हूं । परन्तु एक निवेदन ग्रौर करना चाहता हं ग्रौर वह यह है कि माननीय जाही जी ने बोलते समय, यद्यपि कोई संबंध नहीं था इस विधेयक से, लेकिन उन्होंने कहा कि एफः सी० ग्राई० के चेयरमैन बेईमान हैं, चौर हैं, इत्यादि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति यहां उपस्थित न हो उसका नाम लेकर सीधे इस प्रकार से ग्राक्रमण नहीं किया जाना चाहिए । में ग्रापसे निवेदन करता हं कि ग्राप कार्यवाही देख लेंगे श्रीर यदि उन्होंने इस प्रकार की अन्चित वालें कहीं हैं जो उन को नहीं कहनी चाहिए थीं तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा । मैं केवल इतना ही उन से कहना चाइता हं कि यदि उन को कोई शिकायत थी तो मुझ से कह सकते थे, बरनाला जी से कह सकते थे, प्रधान मंत्री जी से

कह सकते थे, लेकिन ऐसा न करके एक चीनी से सम्बन्धित माधारण से विधेयक पर जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नाम लेकर उन पर जो यहां उपस्थित न हो, प्रारोप नहीं लगाये जा चाहिए ! मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्राप जरा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार से यदि बातें कही जायेंगी—मैं प्राज भी कहता हूं कि कोई स्पैसिफिक चार्ज हो. कोई ग्रारोप हो तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम बिना किसी ग्राधार के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ।

इस्हीं अव्हीं के साथ मैं क्राती बात समाप्त करता हूं।

अक्षे महेन्द्र मोहन मिश्र : मनेजमेंट के लिए विचार चल रहा है ?

इन्हीं झब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए । श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं। लेकिन कुछ बातें इस विधेयक को देखकर मेरे ख्याल में आई तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय के पास तक पहंचा दं।

यह सही बात है कि इस बिल का स्कोप जैसा मंत्री महोदय ने बताया बहत हा लिमिटेड है और जो पहले बिल पारित हुआ था उसमे जो कभी रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह बिल आया है। जो प्रधान विधेयक था उसका मकसद था मिलें चलती रहें ग्रीर किसानों को उनके गन्ने का दाम मिलता रहे। इस के सम्बन्ध में मुझसे पहले भी बहुत से माननीय सदस्य लोग बता चुके हैं कि सौ करोड़ से ऊपर एरियर्स ऐक्यूमुलेट हो गये हैं ग्रीर ग्रापने दस मिल ली हैं। ग्रापने ग्रपने उत्तर में बताया कि आपको लेने में दिक्कत यह हुई कि ग्रापने विल में रखा है कि 10 परसेंट से ऊपर जा अदायगी बाकी रहेगी तभी आरोप उन मिलों को ले सकते हैं। यद्यपि आपने इन दस मिलों के लिए हो कोई 3.5

MR. DEPUTY CHAIRMAN: iMow 1 will put the motion.

The question is:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed

(Taking over of Management) Amdt. Bill, 1979

हैं। इन्हीं ग्रब्दो के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का श्राभारी हं जिन्होने इस बहस में भाग लिया ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा ग्रौर संक्षिप्त उद्देश्य का बिल है। हमने जो पहले मूल अधिनियम पारित किया था उसके शब्दों में कुछ श्राशंका व्यक्त की गई थी और एक हाई-कोर्ट में उसके बारे में सन्देह प्रकट किया गया था उस सन्देह को दूर करने के लिए केवल शाब्दिक परिवर्तन किया जा रहा है ग्रौर इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है जिससे हमारी मंशा के बारे में म्रागे किसी न्यायालय को कोई सन्देह न रह जाए । इतना ही सीमित उहेश्य इस बिल का है। अब इस पर आक्षेप किया गया कि यह कम्प्रेहें-सिव बिल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल नहीं है। अब ये बातें कही गयीं कि इस जनता सरकार का कुछ उद्योग-पतियों से रिश्ता है, इनके उद्देश्य दूसरे हैं, यें कहने के लिए कूछ हैं ग्रौर करने के लिए कुछ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें तो मैं जानता नहीं हूं लेकिन नयी बात इस सरकार की यह है कि हमारा रिश्ता दो से है, या तो गन्ना उत्पादकों से है या उपभोक्ताग्रों से है। यह हो सकता है कि हम चीनी उद्योग की सारी समस्याएं न हल कर पाये हा लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हं कि हमने गन्ना उत्पादकों ग्रौर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ सम्भव था किया है तथा उसके परिणाम भी अच्छे भामने ग्राय है ।

जो मूल विधेयक था, उसके दो उद्देश्य थे। एक को चीनी मिलें चलती रहें जिससे गन्ने की पेराई न रुके और दूसरा यह था कि जो गन्ना उत्पादक गन्ना सप्लाई करते हैं उनके गन्ने की कीमत की अदायगी होती रहे।

गई है कि एक क्विंटल पर्वता करने में 13 रुपए लगते हैं और ग्राप भी कभी 10 रुपए देते हैं, कभी साढ़े ग्राठ रुपए देते हैं। इन्नलिए मैं यह चाहता हं कि इस तरह का हिसाब हो कि शुगरकेन की लागत से इसका ताल्लुक रहना चाहिये । जितना पैसा उत्पादन में लगता है गन्ने का दाम उसी अनुपात में होना चाहिये । श्रीमन्, मंत्री महोदय से खासकर मैं कहना चाहंगा क्योंकि वे स्वयं ही किसान हैं ग्रौर उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खास कर हमारे बिहार ग्रौर उत्तर पूर्वी यू० पी० शुगर इंडस्ट्रोज से भरा पड़ा है, बहुत दिन से यह उद्योग वहां चल रहा है स्रौर स्राज यह शुगर इंडस्ट्रीज की संज्ञा में जा रहा है। अगर सरकार की नीति यह रहेगी तो वह दिन बहूत दूर नहीं है जब कि सारी इंडस्ट्रीज हमारे इन प्रान्तों से विलीन हो जाएगी । दक्षिण से हमारे बहुत से मिल्रो ने कहा कि वहां पर शुगर इण्डस्ट्रीज कोग्रापरेटिव सेक्टर में भी चल रहे हैं। लेकिन जहां तक दक्षिण भारत की गुगर इण्डस्ट्रीज की बात है वे अच्छी चल रही हैं ग्रौर में यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो रिसर्च आर्गनाइजेशन है उनसे किसानों का सीधा सम्पर्क होना चाहिए ताकि लोग इसकी ग्रौर झुकें ग्रौर नयी वेराइ-टोज अपनाएं। किसान को जब तक ग्राप उसके मन के मुताविक प्रोडक्शन से ग्रौर दाम से तालमेल नहीं बैठायेंगे तव तक मैं समझता हुं कि जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है वह अपने आप को हमेशा निस्सहाय समझेगा। यह ग्रापका हिन्दुस्तान है जो आप चाहते हैं करें। लेकिन मैं चाहंगा कि आप एक कम्प्रेहेंसिव बिल सदन में लावें। जो तीनां मुद्दे उठाये हैं वे समझें। खास कर मजदूरों के हितों की रक्षा आप शुगर इण्डस्ट्री के नाम पर करें ग्रौर शुगर इण्डस्ट्री की संज्ञा समझें तो श्राप उसी अन्पात में उनकी मदद कर सकते

(Taking over of Management) Andt. Bill, 19:9

[श्री भान् प्रताप सिंह]

जहां तक पहले उद्देश्य का सम्बन्धहै उसमें हमें पूर्ण सफलता मिली । इस चीनी वर्ष में हर तारीख को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलें काम करती रहीं, कोई भी पीरियड नहीं आया इस गुगर इयर में जब काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम रही हा । कोई भी अवसर नहीं आया है जब कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीनी कम बनी हो । इसलिए जहां तक चीनी के कारखाना के चलने का उद्देश्य था बह पूरी तरह से प्राप्त किया गया है । पिछले साल की तुलना में अधिक चीनी मिलें काम कर रही हैं और पिछले साल की तुरना में आधिक चीनी अब तक बन भी चुकी है ।

जहां तक गन्ने के पैदा करने वालों के बकायें का प्रश्न है, उसमें भी कुछ सफलता मिली है। जहां तक पिछले साल के बकाये का प्रश्न है बहु बहुत कम किया जा चुका है ग्रीर उसका कारण यही है कि जब 10 परसेंट से उपर बकायंदारों क लेने की बात आयी तो हमारे चंगुल में बहुत कम मिलें फंस सकीं श्रर्थात् उनकी अदायगी जो थी वह 10 प्रतिशत के नीचे आ चुकी थी। सिर्फ थोड़ी सी मिलें ऐसी थीं जिनकी अदायगी नहीं थीं और उनको हमें लेना पड़ा। जिस वक्त हमने उनको लिया था उस वक्त उनके ऊपर करीब 6 करेड़ रुपया किसानों का बकाया था। हमने ऐसा किया था कि तीन महीने के अन्दर इस बकाय को **ग्रदा कर देंगे। श्रभी 6 करोड़** क मुकाबले 6 करोड़ से कुछ अधिक धनराणि उन मिलों को बी जा चुकी है जिसको हमने सीधे कन्द्रीय सरकार के अधिकार में लिया है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो बकाये की धनराशि थी, थोड़ी बहुत चाहे बकाया हो, ग्रन्थथा वह पूरी की पूरी अदा हो चुकी है।

त्रब बिहार की मिलों का प्रक्न उठता है। अब बिहार की या कहीं और की मिलें जो

कि एसी हैं जिनको कि राज्य सरकार न अपने हाथ में ले रखा है उनके बहा की <mark>ग्रदायगी का प्रश्</mark>त तो वहीं की राज्य सरकार मूलझा सदेगी। हम तो सिर्फ दो प्रकार की मिलों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। एक तो वह जिनको स्वयं ले लें, अधिग्रहीत कर लें ग्रौर दूसरी वे जो प्राईवेट सेक्टर में हैं या कोग्रापरेटिव सेक्टर में हैं, लेकिन वही जो पिछले साल के गन्ने की कीमत की ऋदायगी नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत श्रदायगी कहीं से बकाया है। उसके लिए तो मैं नहीं कहता हूं। परन्तु प्रायः सभी अदायगी हो चकी है। लेकिन इस वर्ष, मैं मानता हूं फिर किसानों को गन्ने की कीमत की बहुत बड़ी धनराशि बकाया के रूप में एकदित हो गई है। पिछले वर्ष इसी समय जितना गन्ना खरीदा गया था उस का केवल 21 फी सदी बकाई के ऊप में था, आज वह बढ़ कर 25 या 26 फी सदी हो गया है। लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हुं श्रीर वह यह कि श्रब तक की कठिनाइयों को चीनी मिलां थोडा देखत हुए--म्रगर वह चीनी मिलें केवल निजी क्षेत्र की नहीं सरकारो क्षेत्र की ग्रौर जो सहकारी चोने। मिलें हैं उनको भी हमने जरूर उनके साथ थोड़ा मनामियत का व्यव-हार किया है। लेकिन अब हमने उनके लिए जो परिस्थितियां पैदा कर दें। हैं बफर स्टाक द्वारा, याना बफर स्टाक तैथार करने के लिए उन बैंकों से कर्ज की सीमा बढाने के लिए, और इसक साथ यह जो चीनी का मूल्य थोड़ा बढ़ा है, इन सब वातों को ध्यान में रखते हुए में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्रगर उन सहूलियतों के बाद, इन परिस्थितियां के बदलने के बाद, चीनी के भाव कुछ बढ़ाने की बात भा और चीनी मिलें गला किसानों के मूल्य चुकता नहीं करेंगे तो वह इस कानून से बच ही सकेंगे। ग्राज ही मैंने कहा है कि हर एक मिल के बकाएक फिरसे आंत्रड़े मंगए जाएं, श्रौर पूरा रिव्यू चालू कर दिया गया

और मझे इसमें संन्देह नहीं है कि जो मिल नहीं अदा कर सकेगी उसको हमें ले लेना पहुँगा। दूसरी बात जी में स्पष्ट करना चहिता हूं वह चीनी के मुल्य है विषय में है। एक बात कही गई कि हमने कहा कि -2 रु. 20 पैसा प्रति किलोग्राम चीनी जिवेगी। में यह याद दिलाना चाहता हूं, मैंने 2 रु. 70 का भाव नहीं कहा था, मैंने 2.75 और 2.80 कहा था (Interruptions) वह तो रिकार्ड यहां मौजद है। कार्य-वाहों में आप निकलवा कर देख लीजिए। कार्यवाही में तो स्पष्ट लिखा हन्ना है जो मैंने कहा ग्रौर ग्राजभी में कहता हूं कि 2.75 रु० से अधिक मुल्य नहीं चढना चाहिए । लेकिन एक वात में कहना चाहता हूं कि दिल्लों के मुल्य हमेशा 10 पैसा 15 पैसा ज्यादा होते हैं उसका कारण यह है कि यहां चानो बाहर से आती है और उस पर चंगी काफी उंचे दर पर लगाया जाती है। इस क अतिरिक्त दिल्लो निवासी बहुत अच्छी चानी खाने के आदा है, वे सी-30 ग्रेड की चानी खरादते हैं जब कि सारे देश में डा-30 चीनी चलती है। तो कवल दिल्ली हा नहीं है स रा देश। यह मैं एक बार फिर कहता हं कि अगरदेश में चानों का भाव, वह भा कामन वेरायटी डो-30 का, अंगर 2.75 इ० से ज्यादा हाता है तो सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगो । अब दिल्लो के खान वाले बहुत फैन्सी हैं, यहां पैलिंग बहुत फैन्सो है, दुकानें भी बहुत कैन्सी हैं। तो उन फैन्सों लागों का बात छोड़िए, साधारण व्यक्ति जो इस देश का है अगर उसको 2.75 रु० से ज्यादा कीमत अदा करनी पडेगी तो सरकार अवश्य कदम उठायोगों ।

श्रः **खुरताद**ंग्रालम खात् (दिल्ली) : बोड़ा सा दिल्ली में भा मुहेब्बन करिए द्राप ।

SHRI LAKSHMANA MAHA-PATRO (Orissa): To save the people, can you think of having the Parlia-

(Taking over of 7 Management) Amdt. Bill, 1979

ment in the rural side hereafter instead of having it in Delhi?

श्री भान प्रताप सिंह : मैंने देश की बात कही। मैंने कहा दिल्ली है। देश नहीं है। श्रीमन, 'एक प्रक्र उठाया गया कि जब 60 मिलों को नोटिस दी गई तो केंबल 10 क्यों ली गई ? इसलिए कि बाकी ने कानून की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी थी। एक प्रश्न यह उठाया गया कि गन्ना किसानों का अगर बकाया रहता हैं तो उस पर उनको मुद मिलना चाहिए । मैं बार बार कह चुका हं कि 15 प्रतिशत सूद निर्धारित किया गया है ग्रौर वह उन को मिलेगा । लेकिन जब ग्रभी कठिनाई हम को उस में हो रही है कि हम उन के मुल्य का ही निषटारा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बात क्या की जाय. लेकिन यह निषचय मानिये कि जब मूल्य का निपटारा होगा तो उसके साथ सूद का भी निपटारा होगा।

एक प्रक्र यह उठाया गया कि क्या केन्द्रीय सरकार को यह ग्रधिकार है कि बह कोग्रापरेटिव चीनी मिलों को ले ले। मैं यह कहुंगा कि हां, पूरा अधिकार है। SHRI S. W. DHABE: That is in the State laws.

श्री भान प्रताप $f \leftarrow g$: मैं बता रहा हूं। "Sugar industry is a schedule industry under the Industry (Development and Regulation) Act which means the Government of India are the authority competent to legislate and regulate under Entry No. 52 of the Union List in the Seventh Schedule to the Constitution of India."

Therefore, we have exercised this power under this. रहा यह कि हमने राज्य सरकारों का कसल्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि इसने बिना उन के परामर्ज के अपने सनमाने इंग से किया है।

70

(Taking over of 72 Management) Amdi. Bill, 1979

[श्रा गान् प्राप्त सिंह]

यह जरूर है कि बहुत सी सहकारी मिलें यह तर्क देती हैं कि हम अपने सदस्यों को, अपने गन्ना उत्पादक सदस्यों को क्या कीमत दें इस में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस तर्क को हम स्वीकार नहीं करते हैं । हम उन गन्ना किसानों का भी रक्षा करेंगे जो किसी सहकारी चीनी मिल में अपना गन्ना देते हैं और उन की भी जो नहीं देते हैं और यह जो मिनिमम स्टैश्यूटतं प्राइस है वह चाहे निजी क्षेत्न की मिल हो या कोग्रापरे-टिव की मिल हो, वह उस को अदा करनी ही पड़ेगी ।

श्रीमन, हमारे माननीय सिन्हा जी चले गये हैं। यहां मौजुद नहीं । उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने की ग्रदायगी पूरी कीमत की हो सकती है, मजदूरों की मजदूरी दी जा सकती है, सरकार के जितने टैक्सेज हैं सब दिये जा सको हैं और फिर भी चीनी दो रुपये 20 पैसे पर फ़टकर में बेची जा सकती है । इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हं कि अगर केवल उद्योगपतियों का ही प्रश्न होता तो मैं ग्रविश्वास करता उन पर स्रोर भिन्हा स.हत हो जन पर ज्यादा तिश्वास करता लेकिन चीनी उद्योग में तो सभी लगे हुए हैं--राज्य सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार के पास भी ग्रब दस मिलें हैं और सहकारिता की तो इतनी मिलें हो चुकी हैं कि इस देश में जितनी चीनी पैदा होती है उस में कोग्रापरेटिव सेक्टर में ग्राधे से ज्यादा पैदा होती है । परन्त् किसी सेक्टर में चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो या कोम्रापरेटिव सेक्टर हो, किसी सेक्टर ने वह परफार्मेंस करके नहीं दिखाया है कि जिसका सिन्हा साहब ने जिक किया । बल्कि

उल्टे हर एक की तरफ से इस बात की पैरवी होती रही और केवल मिलों ने ही पैरवी नहीं की, राज्य सरकारों ने पैरवी की कि चीनी का कुछ मुल्य बढ़े अन्यथा उन के लिये गन्ने की कीमत का अदा कर पाना कठिन हो जापेगा । यह बात दूसरी है कि देश के सभी लोगों को या तो निकम्मा मान लिया जाय या भ्रष्ट मान लिया जारे । तो यह तो सिन्हा साहब ही कर सकते हैं । मेरे पास ग्रपनी कोई मिल नहीं है, नहीं तो मैं ग्रपनी उस मिल का मैनेजर उन को बना देता भौर म्रगर वह तैयार हों तो मैं उ को किसी मिल का कस्टोडियन बना सकता हं लेकिन वह अगर इस बात को दिखाने का जिम्मा लें।

ग्रन्त में, चन्द प्रज्ञन एठाये गये थे इस विवाद के संबंध में, उन को मैं समझता हं कि मैं उत्तर दे चुका हं । परन्त् एक निवेदन और करना चाहता हूं ग्रौर वह यह है कि माननीय शाही जी ने बोलते समय, यद्यपि कोई संबंध नहीं था इस विधेयक से, लेकिन उन्होंने कहा कि एफ॰ सी॰ ब्राई॰ के चेयरमैन बेईमान हैं, चौर हैं, इत्यादि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति यहां उपस्थित न हो उसका नाम लेकर सीधे इस प्रकार से ग्राक्रमण नहीं किया जाना चाहिए । मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि ग्राप कार्यवाही देख लेंगे ग्रौर यदि उन्होंने इस प्रकार की ग्रन्चित बातें कहीं हैं जो उन को नहीं कहनी चाहिए थीं तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा । मैं केवल इतना ही उन से कहना चाहता ह कि यदि उन को कोई शिकायत थी तो मुझ से कह सकते थे, बरनाला जी से कह सकते थे, प्रधान मंत्री जी से

8.

(Taking over of Management) Amdt. Bill, 1979

by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir: I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं । लेकिन कुछ बातें इस विश्वेयक को देखकर मेरे ख्याल में आई तो मैंने सोचा कि आपके माध्यम में मंत्री महोदय के पास तक पहुंचा दूं ।

यह सही बात है कि इस बिल का स्कोम जैसा मंत्री महोदय ने बताया बहत हा लिमिटेड है ग्रौर जो पहले बिल पारित हम्रा था उसमें जो कभी रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह बिल स्राया है। जो प्रधान विधेयक था उसका मकसद था मिलें चलती रहें ग्रौर किसानों को उनके गन्ने का दाम मिलता रहे। इस के सम्बन्ध में मुझसे पहले भी बहत से माननीय सदस्य लोग बता चुके हैं कि सौ करोड़ से ऊपर एरियर्स ऐक्युमुलेट हो गये हैं ग्रौर ग्रापने दस मिल ली हैं। ग्रापने ग्रपने उत्तर में बताया कि ग्रापको लेने में दिक्कत यह हुई कि आपने बिल में रखा है कि 10 परसेंट से ऊपर जो अदायगी बाकी रहेगी तभी ग्राप उन मिलों को ले मकते हैं। यद्यपि ग्रापने इन दस मिलों के लिए हो कोई 3.5.

कह सकते थे, लेकिन ऐसा न करके एक चीनी से सम्बन्धित साधारण से विधेयक पर जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नाम लेकर उन पर जो यहां उपस्थित न हो, ब्रारोप नहीं लगाये जा चाहिए ! मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ब्राप जरा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार से यदि बातें कही जायेंगी——मैं ब्राज भी कहता हूं कि कोई स्पैसिफिक चार्ज हो. कोई ग्रारोप हो तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम बिना किसी ग्राधार के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए ।

इन्हीं जब्दों के साथ मैं क्राती बात समाप्त करता हूं।

श्रो महेन्द्र मोहन मिश्र : मनेजमेंट के लिए विचार चल रहा है ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now 1 will put the motion.

The question is:

"That the Bill to amend the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978, as passed 74

(Taking over of 76 Management) Amdt. Bill, 1979

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

करोड़ रूपया दिया है और जो ग्रोरिजनल विल था उसमें आपने कहा था कि 50 से 60 लाख रुपये नें ही यह सारा काम पूरा हो जाएगा । लेकिन तीन चार महीनों के ग्रन्दर ही ग्रापने 120 करोड़ से उत्पर रुपया खर्च किया है। 20 करोड़ रुपये आपने यू० पी० में ड्यूज़ को विलयर करने के लिए दिये हैं। आपने अपने जवाब में यह भी बताया कि पिछले साल के गन्ने की अदायगी वाकी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल ग्रदायगी क्यों नहीं हुई, क्यों बाकी नहीं है, यह मैं बताती हूं। क्यों बाकी नहीं है ? इसलिये नहीं कि गन्ना खेत में हो रहे गया। जब गन्ना मिल पर पहुंचा हो नहीं तो एरियर कैसे होगा । जब गन्ना मिल पर पहुंचेगा तब ही तो दाम का झगड़ा, दाम का झमेला, जो ग्राप कहिये, वह होगा। यह क्यों नहीं पहुंचा ? मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि यह जो टाइम होता है मिलों का कि किस समय से कॉशग का पोरियड शुरू हुआ ग्रौर किस समय खत्म हुग्रा, इसको निर्धारित करें। इत्रायह कि पिछले साल कर्शिंग देर से शह हग्रा। किसानों का कहना है कि मिलों को यह सुझाव दें कि वह अक्तूबर से कशिग सीजन शुरू करें ग्रीर अप्रैल--मई तक इसको ले चले । गन्ना जो है वह पूरा किसान से खेत ने मिलों को नहीं पहुंचा पाता । अगर देर से कशिम सीजन शुरू होता है तो रिक्वरी जो गन्ने की होती है वह कम होती है। जैसे-जैसे गरमो होता है स्रोर हवा चलतो है तो उसका जो रस है वह कम होता जाता है और कम होने के कारण की मत भी कम होता है तो किसान जो नुकुसान पहुंचता है। इसके बावजूद मो आप का कहना है कि आपके पहांच ने का पिछले साल ग्लट था। 65 लाख टन शुगर पैदा हुई जबकि म्रापको 40 लाख टन इस देश में जरुरत है। पांच

लाख टन का मापने बफर स्टाक रखा मोर 10 लाख टन फाजिल हो गया तो यह फाजिल चीनी मिलों में रह गई । मिलों का कहना है <mark>ग्रब जब हमारे पा</mark>स स्टाक मौजूद है ग्रौर इस स्टाक को जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हम किसानों के दाम कैसे देंगे। इसलिये किसानों की मजबूरी है कि उन्हें दाम नहीं मिला इनकी पालिसी की वजह से । पहले एक भपोर्ट होता था। यह एक्सपोर्ट कहां होता था यह मैं चताना चाहतो हं कि ज्यादातर गल्फ कंटरीज में यह एक्सपोर्ट होता था ग्रौर इससे हमें फैरेन एक्सचज मिलता था। वहु एक्सपोर्ट भी उन्होंने पता नहीं किस पालिसी के ग्रन्तर्गत अन्द कर दिया। मंत्री महोदय अगर इस विषय में कूछ जानकारी दे देंगे तो थोड़ी सुविधा होगी । मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि मैंनेजमेंट लेते हैं लेकिन मैंनेजमेंट में सुधार तो करें। सूघार के बारे में मंती महोदय ने कहा है कि मैंने देखा है प्राइवेट मिलें, गवर्नमेंट मिलें ग्रोर संहकारिता मिलें किसी में भी ऐसे किसी विशेष प्रकार के मैंनेजमेंट की बात या तरीका दिखाई नहीं देता जिससे किसानों को विशेष रूप से फायदा पहुंचे। मैं यह कहना चाहती हं कि स्राप इसके अन्दर गये नहीं हैं इसलिये ग्रापको नहीं पता चला है । इसके म्रंदर ग्रगर ग्राप जायेंगे तो ग्रापको छोटे से शरू करना होगा । स्रापको पता होगा कि जो गन्ना किसान है उसको दिक्कतें कहां से शुरू होती हैं। बड़ा गन्ना किसान छोटे गन्ना किसान को खेत वटाई पर देता है ग्रोर छोटा गन्ना किसान जो बटाई करता है उसको पर्ची नहीं मिलती है । यह पर्ची का सिस्टम केन सोसाइटी के जरिये होता है यह भी मैं जानती हूं और केन सोसाइटी इलेक्टिड होती है यह भी मैं जानती हूं। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे अष्टाचार के तरीके निकल आए हैं कि एक मामुली बटाई का किसान को है, जो छोटा आदमी है जो आधा बीघा में, एक बीघा में था दो बीघा में गन्ना करता है उसे पर्ची इन सोसाइटी है

(Taking over of Management) Amdt. Bill, 1979

की इनकम हो सकती है, जब कि हमारे श दे में स्थिति यह है कि किसानों को एक विवटल गन्ने का 5 रुपया भी पिछले दिनों नहीं मिल पाया । इसी लालच में ग्राकर पिछले दिनों हमारे देश के किसानों ने विलेज लेवल पर ग्रौर ब्लाक लेवल पर किसान रैली के लिए चन्दा दिया ताकि उनकी ग्राधिक स्थिति में मुघार हो । इसलिए ग्राज ग्रावश्यकता इस वात की है कि किसानों को मुविधाएं देने के साथ-साथ मिलों को मोडनाइज किया जाय ।

इसके साथ-साथ हमारी गन्ना मिलों को जो प्रोफिट होता है उसकी तरफ भी ध्यान देने को जरूरत है। मैं चाहती हूं कि इन मिलों को जो फायदा होता है उसका कुछ ग्रंश स्थानीय लोगों पर भी खर्च किया जाना चाहिए । यह हो सकता है कि किसा गूजोपति को अधिक मिलें हों और किसो को कम मिलें हों। जैसे मान सं/जिये बिरला को 50 मिलें हैं ग्रौर किसी दूसरे गुंजोपति की दो सौ मिलें हो सकती हैं। जब इन मिलों में प्राफिट होता है तो उसको एक पूल में जमा कर लिया जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन मिलों को जो प्रोफिट हो उसको स्थानाथ किसानों और स्थानीय लोगों पर भो खर्च करने पर गम्भोरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि मिल मालिक कहें कि प्राफिट में लोग हिस्सा चाहते हैं तो घाटे का हिसाब कहां जायेगा । लेकिन ग्रब जनता जागृत हो गई है। ग्रतः किसान मिल मालिक दोनों को एक दूसरे को सुविधा देनी होगी।

तीसरी बात मैं कशिंग सीजन के बारे में कहना चाहती हूं। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि कशिंग सीजन अक्तूबर से चालू कराया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहती हूं कि मिलों को मार्डनाइज करने के लिए आप सहूलियत दें। अगर मिलें मोर्डनाइज नहीं होंगी तो उनसे फायदा भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की

ч,

11. 1

कभी नहीं मिलती हैं। उसका गन्ना मिलों पर नहीं पहुंच भाता जब तक कि किसी बड़े किसान से मिल कर, ब्लेक मनी देकर पर्ची नहीं खरीद लेता । इसलिये ये जो छोटो-छोटो वातें हैं जब तक सरकार ग्रौर खासकर मंत्री महोदय इन बातों को स्रोर ध्यान नहीं देंगे तब तक उन छोटे किसानों का भला होने वाला नहीं है । ऐसे बहुत सो छोटी-छोटो दिक्कत हैं किसानों को चाहे वह बड़ा किसान हों चाहे छोटा। ग्रतः इते कम्त्रेन्सिव बिल क्यों कहते हैं ? कांम्प्रेन्सिव बिल इसलिये हैं कि गन्ना किसान छोटे से लेकर बडे तक के हक को रक्षा करना आपका कर्त्तंब्ध है। पिछले साल क्या हुआ ? पिछले साल पांच रुपये क्विटल तक गन्ना नहीं विका। क्रशर वालों ने भो गन्ना नहीं लिया । उनके पास दिक्कत थों। अगर वह लेते हैं तो उनके पास देने के लिये पैसा नहीं है। ज्यादातर मिल वालों ने कहा कि मशोनें नहीं चल रही है। हमारो मशोन 20-20 साल पुरानो हैं। सरकार हमें इजाजत नहीं दे रही है मोडनीइज करने (Time bell rings) एक मिनट কা ৷ अगेर लुगो। ये सारो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो चोनी का सवाल है यह जो मसला है इस पर बहत गम्भोरता से सोचना जरूरा है क्यांकि जो मिल मेगेनेट्स हैं इनका पालिटिक्स में भो हाथ है । जिस प्रकार से हमारो सरकार चानो के निर्यात से पैसा कमातो है उसी प्रकार से गन्ना उत्भादकों को भो सहलिथतें दो जानो चाहिए । मैं चाहता हूं कि हमारे गन्ना पैदा करने वाले किसानों को इनपुट्स, पानो स्रोर बिजलो तथा अन्य दूसरी चोजों को पूरी सहलियतें नहीं दी जातो हैं ग्रोर किसानों का गन्ना पैदा करने पर जो खर्च होता है उसका रिटर्न भो उनको नहीं मिल पाता है। माननाथ चरण सिंह जो ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि हमारे किसान एक क्विटल जो गन्ना पैदा करते हैं उससे मिल-मालिकों को 50-55 रुपयों

78

(Taking over of Management) Amdt. Bill, 1979

[श्रामना प्रतिभा सिंह]

है कि हमारी मिलों को मोर्डनाइज किया जाय स्रौर हमारे किसानों को गन्ने की ऋशिंग कर्णिंग के बाद के बाई-प्रोडक्ट्स से जो फायदे होते हैं उन में भी हिस्सा मिलना चाहिए। चाहे प्राप इन बाई-प्रोडक्ट्स को मिडियम स्केल में ले, या लार्ज स्केल में खें, किसानों को भी साझेदारी दी जाये इसकी तरफ भी विशेष ध्यान लने की जरूत है। इन बाई-प्रोडक्ट्स द्वारा किसान स्रौर गांव का स्वरूप बद्दला जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं स्रपना भाषण समाप्त करती हूं।

Ρ. SHRI N. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): Sir, I am glad the Government have brought this Bill in the interest of the farmer. Sir, the Government is to fix up some minimum rate for sugar cane and the State Governments are allowed to fix some more price, that is, about Rs. 10 or Rs. 20 more than the minimum price. Previously, the Andhra Pradesh Government fixed Rs. 130 per tonne. Now the Government have fixed Rs. 100 per tonne. A Cabinet sub-committee was constituted and they fixed Rs. 100 and issued orders to the State Government not to pay more. The State Government was prepared to pay more to the farmer. But the Central Government issued an order asking them not to pay more. Even for rice they have fixed its price and have asked the State Government not to pay more. I cannot understand the logic of the Central Government. Actually for sugar cane cutting and loading we have to pay Rs. 15 per tonne to labour and there is only Rs. 80 left. We have to pay land tax. We have to purchase fertiliser, pesticides and water. We have to pump water. In some places there is river but in some places we have to pump for ten months in the year. What is the actual cost of production? The cost of production comes to Rs. 135-Rs. 140. We have got a Government which do not care to find out the production cost. They have an Agricultural Prices Commission to fix the prices. There is only one non-official member. Even that non-official member is asked to recommend a price which is favourable to the agriculturist. The other three or four members know anything who do not about agriculture will not agree. The Government has constituted a Cabinet sub-committee to fix the price of wheat. But they are not interested in fixing the price of sugarcane; they are not interested in fixing the price of rice. This is the position now.

I agree with the Minister that the sugar price must be low for the consumer. You must also see that the producer also gets a fair price. But they are not thinking of this side. Now, Sir, the Government wanted to see that the consumer gets sugar at a fair price. If the Government is really interested, they should pass an order that the sugar factories must not sell under Rs. 250 or Rs. 225 per quintal. If they do not undersell the price would come down and the sugarcane growers can get a reasonable price. Then the consumer also can get sugar at less than Rs. 2.75 per kilo. That way they can control this. If they can control the consumer price, they can control the producer price also. If they can pass an order today that no sugar factory can undersell below Rs. 250 or Rs. 225 per quintal, the price can be maintained and the sugarcane growers can get Rs. 150 Der tonne. But they do not think of the agriculturist. They only think of the consumer. They want to be popular in the cities. They do not want to be popular with 80 per cent of the people who live in the villages. This is the position. Therefore, I would appeal to the Minister. I do not blame him. I only want him to think at least of the producers. Hereafter if they are not going to think of the producer and help the producer by seeing that sugar is not undersold in the factories, there will be a sugar shortage. The same Ministers will be responsible to the

country. I only request them to see that the price in the sugar factories is fixed so that they do not undersell below Rs. 250 per quintal. If this is not done, next year there will be a severe sugar shortage. Therefore, i would appeal to the Minister to do something about this.

PROF. N. G. RANGA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have only a tew points to make. I am glad that my hon, friend, Shrimati Pratibha Singh, has highlighted the difficulties of our peasants who are obliged to place their sugarcane at the disposal of the factories and who, at the same time, have to go without receiving the price for it. All the time they are obliged to go on paying, first of all, the first stage interest to co-operative societies and banks and, later on, penal rates of interest also. I would like my hon. friend to give some attention to this particular matter and see that the peasants are exempted from payment of interest to the co-operatives in cases where the sugarcane price is not fixed. Secondly, way and means of how to give them relief will have to be worked out by my hon, friend in consultation with the Reserve Bank of India and the scheduled banks.

1

Sir, my hon. friend, Mr. Naidu, has already told us how this Government these Governments is feeling. All have been feeling so ever since we have become free and long before we have become free also, just because Governments have somehow or other been interested more in the consumers than in the producers of sugarcane. That has been the fate of our Now the time sugarcane producers. has come when their interests are to be properly harmonized. I am glad that this Bill has been brought forward in order to take over certain sugar factories. It has become necessary for the Government to take over these sugar factories because those people who were the owners-either co-oprative or private-and who were supposed to manage the sugar factor-

(Taking over of Management) Amat. Bill, 1979

ies were mismanaging them, mismanaging the finances of the sugar factories and neglected their repairs, renovation and modernisation. They muleted almost all the profits and resources—every thing— or their own benefit and now they have placed the baby in the hands of the Gov~ ernment. The Government is quite happy to have the baby 3 p.m. and nurse it too. This is a wrong way of going about. We have been thinking

and talking about co-operativisation or nationalisation of this industry Commission after commission in U.P. itelf made certain recommendations. but they had not been heeded toeither by Mr. Charan Singh's State Ministry or even the earlier Ministries before him, or even the Union Government. Now I would like to ask my hon, friend to examine whether the time has not come to take a bold decision in regard to this matter. If you would like to co-operativise it, do so. Certainly it would be better managed than under private entrepreneurs. If you would like to nationalise it, do so; but see to it that it is better managed than under private entrepreneurs.

It is no time to go into many other points which have been raised or could be raised, but one thing has got to be said. There is no reason why just because for the time being there is over-production of sugar, they should put a stop to the development of the sugar factories in such States as Maharashtra, Andhra Pradesh and Madras where the sucrose content is very much higher, the total production of cane is very much higher, either because the lands there are more fertile, the water supply is more regular, power supply is more regular or because the factories there are more efficient than the factories in U.P. and The local Governments have Bihar. already given permission to various co-operative societies in the South to start cooperative factories. They have advanced some money also. From the

м., Л

. _ .

[RAJYA SABHA] (Taking over of

Management) Amdt. Bill, 1979

there will be a greater demand in our own country and whatever loss on account of this may be there will surely not be more than the loss they are incurring by their not fully successful effort to export our sugar to other countries. Why should they not tev to do that? In addition to this, why should they not have the supply of sugar in small packets for all those people who are employed on 'Food for Work' Schemes? Wherever they are employed, let them be supplied this small quantity of sugar also. They will certainly be prepared by the sugar factories themselves and be placed at the disposal of the Government. In that manner they can augment the demand for sugar in our own country and we can become independent of the need to export our sugar at huge losses.

My last point is this. There are some bad sugar mills in Andhra Pradesh. One of them is in Challapalli and there is another in Bobbili. One of them had closed down also. The workers are suffering. The peasants are also suffering. And for years, arrears have not been paid. Now, at least those mills should be taken over by the Government. I do not know why they did not give any thought to these mills. Local politics will be there. The local Government may agree or may not agree. But let the enquiry Government here make an whether these twomills should −∙be taken over with profit to the Government and also to the local peasants as well as the consumers. Thank you.

श्री भानु प्रताप सिंह : उपसमापति महोदय, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं सारांश में उत्तर दूंगा । मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि चीनी उद्योग की सारी बीमारिता दूर की जा चुकी है लेकिन मैं वह जरूर दावा करता हूं कि हम उसकी ठीक करने की दिशा में... (Interruptions)

PROF. N. G. RANGA: Let him reply in English.

[Prof. N. G. Ranga]

peasants so much money was collected and put together. They went ahead with the construction, but half way through the order came to themmy hon. friend was asking me whether it came from the Central Government or the State Government; that I do not know-from this Government or the Government in the State, directly or indirectly, by way of advice or by way of a specific order that they should not go ahead with it. Now, if they are going to stop production, what will be the fate of the industry and what will be the fate of the co-operators who themselves are - peasants and who have invested so much money, who have borrowed money on which they are paying an interest? Recently, one or two representations were made. I thought have met my hon. might they Bhanu Pratap Singh; friend Mr. but I believe they have met Mr. Barnala, Anyway, they came and made а representation in like this regard. Ι would you to look into this matter and see that further construction and completion of the factories in respect of which schemes have already been "sanctioned is not stopped.

Then there is the question of demand. Yesterday I made a suggestion and I would like to repeat it. I made it privately to my hon. friend in the lobby, and he had got some objection to it. That suggestion is that whatever surplus sugar they have got al their disposal and they are not able to sell could be disposed of in another manner. Why should they not introduce a double price system-not the earlier one? One may be the market price, say, Rs. 2.50 as at present, and another price of Rs. 2, at which price they should sell sugar through the public distribution agencies as well as co-operatives to all those people whose family income is less than Rs. 250 or Rs. 300 per month. If they would distribute it that way, certainly

(Taking over of 86 Management) Amdt. Bill, 1979

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAI-Minister in charge of DU: The Sugar in Andhra Pradesh has clearly said that the Central Government have asked them not to pay more and that is why they are not paying more than Rs. 100. Previously they were paying Rs. 130. They are put. ting the blame on you.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is very easy to put the blame on us, but you go back and ask your Minister, "How is the U.P. Govern_ ment able to pay more?" The laws are the same, the requirements are the same. And our advice has been the same. And our advice has been the U.P. Government subsidising the cane gowers from their resources. but they have done it against our advice.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Also Bihar Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes, I understand the Bihar Government is paying more. It is up to the State Governments. If they have the rsources and they want to pay more to the cane growers, they are free to do so.

Now, as far as the point raised about the licensing of new sugar factories is concerned, we have certainly decided, not for ever but only for a short period of time while we are having a second look at the sugar industry, not to issue new licences. With the licences that have already been issued, from our side, we have not stopped them from going ahead to establish their sugar factories. If there is any specific case where а licence was issued and they have got the resources to go ahead, but they have some difficulty then let thera approach me through you or directly that assure you ali and I been given who have those licences and who have the resources to go ahead, will not be stopped from establishing their factories.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: All right. I never claimed that all the ills of the sugar industry have been cured. All that I claim is that the sugar industry is on the way to recovery and the symptoms of recovery are, number one, that consumption of sugar has gone up considerably in this country. Your anxiety about increasing the consumption of sugar is perhaps out of date now. Consumption has gone up by more than 25 per cent. And I hope that together with the export that will not be made, the total utilisation of sugar this year will not be much less than the production; it will be almost equal or it will be a little more. So, as far as the problem of over-production is concerned, it is on the way to a solution. Now consumption has gone up. The consumers are very happy because they are getting sugar at much cheaper rates than before. Corruption has been removed altogether. This dual pricing which you now want us to introduce was generating black money worth at least Rs. 100 crores in this country. I am very happy that that situation is now over, and we do not intend to re-introduce sale of sugar at two different prices.

Now, Sir, my hon. friend has said Govthat in Andhra Pradesh the ernment wanted higher prices to be paid to the cultivators and the Union Government did not allow them to do so. Now, this is sheer propaganda on the part of the State Government The laws are the same In U.P. the Government there is subsidising out of its own resources by paying higher prices to the cane growers at the same level as was paid to them last year. Now the laws are the same. If the U.P. State Government can do that, I do not see why the Andhra Fradesh Government, if it really had sympathy for the cane growers at heart, cannot do the same. (Interruptions) I am giving an example.

¥.

[Shri Bhanu Pratap Singh]

Now, quite often the panacea of export has been recommended for the ills of the sugar industry. It was all right to export when the price of sugar in the international market was $\pounds700$ a tonne, but it has come down now to $\pounds100$ a tonne the price is reduced to 1/7th...

PROF. N. G. RANGA: Therefore, do not export.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: No; we are exporting in spite of the heavy losses that we are suffering. But that will not solve our problem. That is what I want to emphasize. If the realisation from exports is going to be less even as compared with what we can realise in our own country, I don't see any great point in exporting; that will not solve our problem. Instead of that, because our surpluses have grown, we are exporting, if somebody thinks that beexports are not on a big cause the scale and therefore the sugar industry problem is not being solved, that kind of thinking is wrong. (Interruptons) As far as this question is concerned. at least I believe that the industry and everything should be on a sound basis; it is for the industry to regulate its own affairs. We have set only two limits to them: They must pay the minimum price set. That is one. And they should not cross the price level of sugar for the consumer. It has been set at Rs. 2.75 a kilogram. Between these two limits that have been placed for them they should operate-that they should pay to the cane-growers a fair price. We have left them to their own devices . . .

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAI-DU: If you can ask them not to deviate and there will be a uniform price in the country and the producer will get more....

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We do not want to put them on crutches; they have now learnt a lesson, they have learnt how to regulate their business, and that is why they are selling it under some restraint and discipline now. That is going to help the industry as well as the canegrower. So we do not intend to interfere...

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: What about crushing time?

SHRI BHANII PRATAP SINGH: Yes, you have raised a point about crushing time. Perhaps you are not aware that if crushing starts very early, then again the recovery is low. Crushing cannot be done at the same time throughout the country. The climatic conditions are such that it has to be at different times at different places. But any recommendation to start crushing in October is as harmful to the industry as making them work in the month of June or July. So both ways it is disadvanta. geous. Therefore, this matter should be left to the industry and we should only take care that whatever they have been crushing or whatever is their capacity to crush, they should crush and keep on paying the canegrowers.

With these words I again commend that the Bill be passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is-

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

PERSONAL **EXPLANATION** BY SHRI RAVINDRA VARMA, MINIS-OF PARLIAMENTARY TER AF-FAIRS AND LABOUR, REGARD-ING ALLEGATION OF HIS CON-NECTION WITH THE CTA MADE SHRI YOGENDRA MAKWANA BY IN THE HOUSE ON MARCH 26, 1979

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Mr. Deputy Chairman, with your permission I rise to make a statement of personal explanation. I was amazed and filled with indignation to read a report that appeared in a Delhi daily this morning to the effect that an honourable Member of this House